न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 45/2008 प्रा0पत्र.14(4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये उप तहसीलदार लवाण जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र भोंरी लाल जाति कुम्हार निवासी दूबल्या तहसील लवाण जिला दौसा

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः 30.6.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11.6.1992 को ग्राम दूबल्या तहसील लवाण के आ0ख0नं0 102/1 रकबा 0.26 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी जगदीश को किया गया था। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण उप तहसीलदार लवाण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी जगदीश पुत्र भोंरी लाल जाति कुम्हार निवासी दूबल्या को ग्राम दूबल्या में दिनांक 11.6.1992 को खसरा नंबर 102/1 में से 0.26 है0 भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने से आदिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन तिथि से आज दिन तक आवंटित भूमि में किसी प्रकार की काश्त नहीं की है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तो के अनुरूप आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी को बार–2 आवाज दिलवाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प ढिगारिया द्वारा अप्रार्थी जगदीश पुत्र भोंरी लाल जाति कुम्हार निवासी पूर्णवास को ग्राम दूबल्या स्थित आराजी खसरा नंबर 102 रकबा 0.26 है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 2058 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने से हम आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11.6.1992 को अप्रार्थी जगदीश को आवंटित की गई भूमि का आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

....निरन्तर 2 पर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी उप तहसीलदार, लवाण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11.6.1992 के द्वारा ग्राम दूबल्या में अप्रार्थी जगदीश के पक्ष में खसरा नंबर 102 में से 0.26है. का किया गया आवंटन निरस्त किया किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) लवाण जिला दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांकः 30 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:57 IST
Reason: SelfAttested